सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 25 राँची, शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2019 ई०।

संख्याः12/कोर्ट-05-04/2018 का० 10505 -- विभागीय आदेश संख्या-351 दिनांक-16.12.2004 एवं कार्यालय आदेश संख्या-07 दिनांक-17.01.2005 के द्वारा श्री शिव कुमार सिंह, निजी सहायक, श्री महेश प्रसाद शर्मा, निजी सहायक एवं श्री लाल दत्त ठाकुर, निजी सहायक को निजी सहायक के पद योगदान की तिथि-11.08.1987 से सेवा की गणना करते हुए क्रमशः दिनांक-12.08.1999, 11.08.1999 एवं 11.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा उनकी आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना करते हुए ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में वाद WP(S) No1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

".....Thus the office order, as contained in Memo No 5/vivid-19-13/2002 ka 121/Ranchi, dt 15 January 2005 and the Order No 5/vivid-19-13/2002 ka 07/Ranchi, dt 17 January 2005, are hereby quashed. The respondents are directed to re-calculate the benefits of Time bound promotions and the ACPs granted to the petitioners counting the period of service from their initial appointment i.e from the date they were appointed as Steno-Typist and not from the data they were appointed as Personal Assistant in the Secretariat Cadre. Necessary corrections are accordingly required to be made by shifting their initial date of appointment. This Process of rectification must be done by the respondent No 02 within a period of eight weeks from the date of presentation of a copy of this order before him by the petitioners. All the consequential monetory benefits will also be extended to the petitioners within a period of four weeks, thereafter....."

उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर LPA No-504/2017 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-25.02.2019 को पारित आदेश में निरस्त (dismissed) कर दिया गया है।

2. वादीगण के द्वारा WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश के क्रम में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont.(civil) Case No-753/2017 शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य

एवं अन्य दायर किया गया । उक्त अवमाननावाद में महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय के पत्रांक-8229 दिनांक-13.08.2019 एवं पत्रांक-11950 दिनांक-28.11.2019 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका WP(S) No-1569/2006 में पारित आदेश दिनांक-21.07.2017 का अनुपालन हेतु 01 सप्ताह का समय दिया गया है।

3. LPA No- 504/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-25.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर Civil Review Petiton लंबित रहने की स्थिति में WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् हैः-

"----------For the foregoing reasons, I am of the opinion that the judgment passed by the writ Court needs to be implemented forthwith subject to the above condition....."

प्रासंगिक मामले में वादीगण को ए०सी०पी० के तहत देय वेतनमान के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा प्राप्त परामर्श निम्नवत् हैः-

".....वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आशुटंकक से निजी सहायक में पद एवं वेतन का उत्क्रमण हुआ है, अतएव इसे एक वित्तीय उन्नयन मानकर आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 24 वर्षों की गणना कर इन आवेदकों को द्वित्तीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान कर अवमाननावाद का अनुपालन किया जा सकता है, जो दायर Review Petition से प्रभावित होगा । इन्हें IInd ए०सी०पी का लाभ वरीय निजी सहायक/आप्त सचिव के वेतनमान 6500-10,500 में अनुमान्य होगा।"

4. ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशों एवं Cont. (civil) Case No- 753/2017 में महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश के क्रम में LPA No-504/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-25.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर Civil Review Petiton लंबित रहने की स्थिति में WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श तथा प्रासंगिक मामले में योजना-सह-वित्त से प्राप्त परामर्श के आधार पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य को निम्नरूपेन ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता हैः-

क्र० सं०	**नाम/पदनाम/ विभाग**	**जन्मतिथि सेवानिवृति तिथि**	**आशुटंकक के पद पर योगदान तिथि सम्पुष्टि तिथि**	**ए०सी०पी० के तहत 24 वर्षों की सेवा के उपरांत आप्त सचिव के वेतनमान 6500-10500 में द्वित्तीय ए०सी०पी० की देय तिथि**	**एम०ए०सी०पी० के तहत 30 वर्षों की सेवा के उपरांत वेतनमान पी०बी०-2, ग्रेड वेतन-5400/- में तृत्तीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि**
1	श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड़, राँची।	05.01.1957 31.01.2017	15.05.1978 13.10.1986	**15.05.2002**	**01.09.2008**
2	श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग।	07.05.2011 31.05.2011	28.12.1973 01.04.1974	**09.08.1999**	**01.09.2008**
3	श्री लाल दत्त ठाकुर, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।	11.07.1949 31.07.2009	21.12.1972 10.12.1980	**09.08.1999**	**01.09.2008**

5. उपर वर्णित पदधारकों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ की अनुशंसा निम्नांकित शर्त्तों की अधीन की गयीः-

(क) उपर्युक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ की स्वीकृति विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर Civil Review Petiton No- 47/2019 के फलाफल से प्रभावित होगा।

(ख) वादीगण के संबंध में विभागीय आदेश संख्या-351 दिनांक-16.12.2004, आदेश संख्या-07, दिनांक-17.01.2005 एवं आदेश संख्या-134 दिनांक-02.06.2010 के द्वारा स्वीकृत प्रथम ए०सी०पी० एवं द्वित्तीय एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(ग) यदि प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ के फलस्वरूप योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा वेतन निर्धारण/वेतन सत्यापन के क्रम में त्रुटि पायी जाती है या अन्य किसी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तो उक्त के अनुरूप प्रदत्त वित्तीय उन्न्यन में संशोधन किया जाएगा तथा अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।

(घ) वादीगण को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के तहत उपर्युक्त लाभ की स्वीकृति WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश, LPA No- 504/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-25.02.2019 को पारित आदेश एवं Cont. (civil) Case No-753/2017 में महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रदान की गयी है। इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय त्रिवेदी,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 25 -- 50